# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

IN-UP02880255044494V

**e-Stamp**

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP02880255044494V |
| Certificate Issued Date | : | 01-Sep-2023 02:43 PM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14168504/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP1416850401365114277826V |
| Purchased by | : | CHANDRAPRABHA SHIVSAGAR COLLEGE OF PHARMACY |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | CHANDRAPRABHA SHIVSAGAR COLLEGE OF PHARMACY |
| Second Party | : | Not Applicable |
| Stamp Duty Paid By | : | CHANDRAPRABHA SHIVSAGAR COLLEGE OF PHARMACY |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 100<br>(One Hundred only) |

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

NOTARY

Kartikay Kumar Singh
Advocate
Notary
Lucknow (U.P.) India
Date 01-09-2023

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

## (प्रारूप–"अ")

**सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप**

हम संतोष कुमार सिंह (नाम अध्यक्ष) एवं अशोक कुमार सिंह (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) सुजाखर ग्रामोद्योग विकास संस्थान, ग्राम-सुजाखर, पोस्ट-बेल्हा ..., जिला-प्रतापगढ़ (उ०प्र०) 230139 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा चन्द्रप्रभा शिवनाथ ... कॉलेज ऑफ फार्मेसी उपरोक्त पता (संस्था का नाम एवं पता) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सुजाखर, बेल्हा ..., प्रतापगढ़ (उ०प्र०) 230139 (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 232, 233, 5, 5/238, 581 एवं 583 रकबा क्रमशः 0.086, 1.581, 0.447, 0.097 एवं 0.051, 0.164 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.0 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 232, 233 मि०, 5 मि०, 5/238, 581, 583 एवं ... रकबा क्रमशः 0.086, 1.581, 0.447 एवं 0.097, 0.051, 0.164 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.0 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 22.09.2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Kartikay Kumar Singh
Advocate
Lucknow (U.P.) [illegible]
Date 21.09.2023

Secretary
[illegible]

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

Secretary

01-09-2023